

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

संख्या : 15/565

एसोसिएटेड स्टोन इण्डस्ट्रीज (कोटा) लिमिटेड रामगंजमण्डी जरिये मुख्तार श्री बहादुर सिंह आत्मज श्री आसूसिंह जाति राजपूत निवासी बाजार नम्बर 01 रामगंजमण्डी जिला कोटा।

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपरिस्थित :- 1. श्री तेजमल जैन, अभिभाषक, अपीलान्त की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 28.02.2020

1. अपीलान्त द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.1975 के विरुद्ध पेश की गई है ।
2. अपीलान्त अप्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.11.1975 को भंवर लाल आत्मज श्री सूरजमल जी बागरी को खसरा नम्बर 186/358 की 05 बीघा भूमि ग्राम कुटक्या तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा का आवंटन करने में त्रुटि की है । आवंटन के पश्चात् आवंटी का कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा काशत नहीं रहा है । अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड में उक्त आवंटन सम्बन्धित किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है । केवल मात्र नामान्तरकरण पंजिका में इंतकाल नम्बर 48 का इन्द्राज अंकित किया हुआ है । उक्त भूमि सन् 1959 से लगातार अपीलान्त के खनन पट्ट में चली आ रही है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.1975 निरस्त फरमाया जावे ।


अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश करन कथन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी। जब प्रार्थी कम्पनी की माईनिंग खनन की चाल उक्त वादग्रस्त आराजी के नजदीक आयी तब दिनांक 12.10.2015 को जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में दस्तावेज निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि तहसील में उक्त आवंटन का उल्लेख एवं रिकॉर्ड कहीं भी उपलब्ध नहीं है और न ही आवंटन की पत्रावली उपलब्ध है। इसलिए प्रस्तुत अपील में केवल नामान्तरकरण ही प्रस्तुत किया है। आवंटन आदेश प्राप्त करने के लिए नकल का आवेदन दिनांक 06.11.2015 को पेश किया था जो खारिज कर दिया गया। अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे।

4. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेसन दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया।
6. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2035-38, 2039-42, 2043-46, 2047-50, 2051-54, 2055-58, 2059-62, 2063-66 पेश की हैं। उक्त दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियाँ हैं जिनकी विश्वसनीयता पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। अतः न्यायहित में उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सन् 1975 में भंवर लाल आत्मज सूरजमल बागरी को खसरा नम्बर 186/358 की 05 बीघा भूमि ग्राम कुटक्या तहसील रामगंजमण्डी आवंटित करने में त्रुटि की है। रेस्पोडेन्ट ने उक्त भूमि पर आज तक कृषि कार्य नहीं किया है उक्त भूमि पडत पडी हुई है। रेस्पोडेन्ट ने कभी भी उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं किया है। केवल मात्र नामान्तरकरण पंजिका में इंतकाल नम्बर 48 का नोट अंकित है इसके अलावा अन्य कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। सन् 1959 से लेकर लगातार अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। रेस्पोडेन्ट के द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। आवंटन खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.11.1975 निरस्त फरमाया जावे।
8. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित है। विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है। आराजी नियमानुसार आवंटन की गई है जिसके बाबत् आपत्ति करने का अपीलान्ट को कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । पत्रावली के साथ नामान्तरकरण संख्या 48 की प्रमाणित प्रति संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 186/358 की 05 बीघा आराजी पर आवंटी भंवरलाल आत्मज सूरजमल को गैर खातेदार दर्ज करने का नोट अंकित किया गया है । पत्रावली के साथ नकल प्राप्त करने के आवेदन की प्रति भी संलग्न की गई है जिसमें अंकित किया गया है कि प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित कोई रिकॉर्ड तहसील के रिकॉर्ड रूम में उपलब्ध नहीं है ।

10. अपीलान्त के द्वारा सन् 16.11.1975 में भंवर लाल आत्मज सूरजमल के पक्ष में किये गये आवंटन को इस अपील के माध्यम से चैलेंज किया है जो कि गंभीर रूप से अवधि बाधित है । साथ ही वादग्रस्त आराजी जो रेस्पोंडेन्ट को आवंटित की गई है उसे चैलेंज करने का अपीलान्त को कोई लोकसस्टेण्डाई (Locus-Standi) नहीं है । इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्त सारहीन होने एवं गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज होने योग्य है ।
11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त सारहीन होने एवं गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.1968 बहाल रखा जाता है ।

12. निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(भागवती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा